Mark and website

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), CHENNAI, LEKHA PARIKSHA BHAVAN, 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI – 600 018.

No.PDA(C)/Legal Cell/11-49/2022-23/324 **Dated: 28.03.2023.**

CIRCULAR No.16

Administration had time and again issued Circulars, emphasising the need to strictly adhere to the norms prescribed in the Code of Ethics for the staff members. It had been reiterated that all the staff members should strictly follow the norms prescribed in Code of Ethics for Indian Audit and Account Department.

As per the provisions mentioned in para 3.25 of Code of Ethics for Indian Audit and Accounts Department *"Auditors should avoid such relationships with managers and staff in the audited entity and other parties which may influence, compromise or threaten the ability of auditors to act and be seen to be acting independently".*

Further as per the provision mentioned in para 3.26 of Code of Ethics for Indian Audit and Accounts Department *"Auditors should not use their official position for private purposes and should avoid relationships which involve the risk of corruption, or which may raise doubts about their objectivity and independence".*

Despite these instructions and guidelines, instances of non-observance of the above provisions by the Officer / Officials have come to the notice of the Administration.

The above provisions of Code of Ethics are brought to the notice of the Officers/Officials and all the staff members are hereby advised to strictly follow and adhere to the provisions of the Code of ethics. Failure to adhere to the provisions of Code of ethics would be viewed seriously and severe action would be taken for such violations in accordance with the provisions contained in CCS (CCA) Rules, 1964.

This issues with the approval of Principal Director of Audit (Central)

K. Venugopal

Dy. **Director/ Administration**

To:

1. All Group Officers.
2. All Branch Officers.
3. All Sections
4. SAO/EDP with a request to post this circular in the Official website and to mail the Circular through email to all the staff members.
5. Notice Board

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
"लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

सं.प्रनिलेप(के)/कानूनी/11-49/2022-23/324

दि. 28.03.2023

परिपत्र सं.-16

प्रशासन ने समय-समय पर परिपत्र जारी किए थे, जिसमें कर्मचारी सदस्यों के लिए आचार संहिता में निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। यह दोहराया गया था कि सभी स्टाफ सदस्य को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए आचार संहिता में निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन करें।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए आचार संहिता के पैरा 3.25 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, "लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षित इकाई एवं अन्य पक्षों में प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के साथ ऐसे संबंधों से बचना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते देखे गए लेखा परीक्षकों की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करने, समझौता या धमकी दे सकते हैं"।

इसके अलावा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए आचार संहिता के पैरा 3.26 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार "लेखा परीक्षकों को निजी उद्देश्यों के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग नहीं करना चाहिए और उन संबंधों से बचना चाहिए जिनमें भ्रष्टाचार का जोखिम शामिल है, या जो उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में संदेह पैदा करें"।

इन अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के बावजूद अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न किए जाने के मामले प्रशासन की जानकारी में आए हैं।

आचार संहिता के उपर्युक्त उपबंधों को अधिकारियों/ कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है एवं सभी स्टाफ सदस्यों को आचार संहिता के उपबंधों का सख्ती से अनुसरण एवं उनका पालन करने की सलाह दी जाती है। आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करने में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा एवं सीसीएस (सीसीए) नियम, 1964 में निहित प्रावधानों के अनुसार ऐसे उल्लंघनों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(यह प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के अनुमोदन से निर्गत है।)

कि. वेणुगोपाल

उप. निदेशक/प्रशासन

प्रति- अंग्रेजी रूपांतरण